समपहृत निक्षेप अधिनियम, 1850

धाराओं का क्रम

धाराएं

उद्देशिका ।

1. [निरसित] ।

2. समपहृत निक्षेपों का उपयोग ।

[1][समपहृत निक्षेप अधिनियम, 1850]

(1850 का अधिनियम संख्यांक 25)

[14 जून, 1850]

1819 के [2]विनियम सं० 8 [3]* के अधीन भूमि
के अपूर्ण विक्रय पर किए गए निक्षेपों का
सरकार को समपहरण के लिए
अधिनियम**

उद्देशिका—पटनीदार [4]*** बंगाल संहिता के 1819 के विनियम सं० 8 की धारा 9 [5]*** के इस उपबन्ध[6] का कि [7]*** भाटक की बकाया के लिए भूमि के विक्रय पर समपहृत निक्षेपों का इस प्रकार उपयोग किया जाएगा मानो वे क्रय-धन हैं, कपटपूर्ण रीति से लाभ उठाते हैं ।

अत: निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. [**निरसन ।**]—निरसन अधिनियम, 1870 (1870 का 14) की धारा 1 और अनुसूची 2 द्वारा निरसित ।

2. समपहृत निक्षेपों का उपयोग—किसी ऐसे समपहृत निक्षेप का विक्रय के खर्चे चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा और अधिशेष सरकार को समपहृत किया जाएगा ।

———

[1] संक्षिप्त नाम, संशोधन अधिनियम, 1897 (1897 का 5) की धारा 4 तथा अनुसूची 3 द्वारा दिया गया है ।

यह अधिनियम शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऐक्ट, 1874 (1874 का 14) की धारा 3 के अधीन अधिसूचना द्वारा छोटा नागपुर खण्ड के हजारीबाग, रांची, पालामू और मानभूम जिलों तथा परगना डालभूम में और सिंहभूम जिलों में कोल्हान में प्रवृत्त हुआ घोषित किया गया है, देखिए भारत का राजपत्र, 1881, भाग 1, पृष्ठ 504 ।

यह अधिनियम संथाल परगने में संथाल परगना व्यवस्थापन विनियम, 1872 (1872 का 3) की धारा 3(1) और अनुसूची द्वारा प्रवृत्त हुआ घोषित किया गया है ।

[2] बंगाल पटनी तालुक विनियम, 1819 ।

[3] 1891 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 और अनुसूची 1, भाग 1, द्वारा " और 1846 का अधिनियम सं० 4" शब्द और अंक निरसित ।

[4] "और निर्णीतऋणी" शब्द पूर्वोक्त की धारा 2 और अनुसूची 1, भाग 1 द्वारा निरसित ।

[5] 1891 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 तथा अनुसूची 1, भाग 1 द्वारा "और 1846 के अधिनियम सं० 4 की धारा 5" शब्द तथा अंक निरसित ।

[6] वर्तमान अधिनियम की धारा 1 द्वारा निर्दिष्ट उपबंध निरसित ।

[7] 1891 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 तथा अनुसूची 1, भाग 1 द्वारा "डिक्रियों के निष्पादन में या" शब्द निरसित ।